

unemployment and health problems. We have failed in providing the basic needs of life.

Small children in *adivasi* and remote areas suffer from hunger and malnutrition. The Government of India has passed the National Rural Employment Guarantee Act which ensures employment to the BPL families for one hundred days in a year. But, this is not enough. Like primary education, work also should be made compulsory. It should be a Fundamental Right.

The labour classes can hardly meet their basic needs. Can we think of an inclusive society in such a situation? Unless we generate employment in rural sector, we cannot give justice to the poor people. It is said that India is the richest nation of the poorest of the poor. It should be a welfare nation and we have to take care of that. Thank you, Sir.

SARDAR TARLOCHAN SINGH (Haryana): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Dr. Janardhan Waghmare.

Demand to give dalit muslims the status of scheduled castes

डा. ऐजाज़ अली (बिहार) : महोदय, दलित मुसलमानों अरज़ाल को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग गत डेढ़ दशक से की जा रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अरज़ाल मुस्लिमों की जनसंख्या का लगभग 0.8 प्रतिशत है। इस समुदाय की शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। यद्यपि 1936 से 1950 तक इसाई समुदाय को छोड़ बाकी सभी धर्म में दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा हासिल था। राष्ट्रपति आदेश 1950 द्वारा इसे केवल हिन्दू-दलितों के लिए सीमित कर दिया गया और मुस्लिम, सिख तथा बौद्ध धर्मों के दलितों को इस दर्जे से वंचित कर दिया गया। दलित मुस्लिम (अरज़ाल) को अनुसूचित जाति में शामिल करने की संस्तुति सच्चर कमेटी के अतिरिक्त रंगनाथ मिश्र आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी की है। ज्ञात हो कि 1950 के प्रेसीडेंशियल आर्डर में बाद में दो बार संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा 1956 में सिख दलितों को एवं 1990 में नवबुद्धिष्ट को अनुसूचित जाति में दोबारा शामिल कर लिया गया। परन्तु दलित मुस्लिम (अरज़ाल) को आज तक शामिल नहीं किया गया है, जबकि 1950 के पहले सिख एवं बौद्ध की तरह वे भी अनुसूचित जाति में शामिल थे। महोदय, दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति में रखने का प्रश्न केन्द्रीय काबीना में विचाराधीन है। सभी प्रमुख संवैधानिक निकायों ने अरज़ाल को अनुसूचित जाति में रखने की सिफारिश की है। फिर भी इस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है।

महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि दलित मुसलमान (अरज़ाल) को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार प्रेसीडेंशियल आर्डर 1950 में संशोधन करते हुए उसमें हिन्दू, सिख एवं नव-बौद्ध के साथ मुस्लिम शब्द को भी जोड़े, जिससे केवल 0.8 परसेंट जनसंख्या वाले इस वर्ग को भी अपना शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर सुधारने का अवसर मिले, ताकि वे भी सम्मान से अपनी जिंदगी गुजार सकें और अन्य धर्म के दलितों की तरह मुख्य धारा में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकें। शुक्रिया।

ڈاکٹر اعجاز علی : مہودے، دلت مسلمانوں ارزال کو انوسوچت جاتی میں شامل کرنے کی مانگ پچھلے ڈیڑھ دسکوں سے کی جا رہی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ارزال مسلموں کی جن سنجہ کا لگ بھگ 0.8 فیصد ہے۔ اس سمودائے کی شیکشک، آرٹھک اور سماجک استھتی اتینت دینے ہے۔ یڈھپی 1936 سے 1950 تک عیسائی سمودائے کو چھوڑ کر باقی سبھی دھرم کے دلتوں کو انوسوچت جاتی کا درجہ حاصل تھا۔ راشٹر پتی آدیش 1950 دوارا اسے کیول بندو-دلتوں کے لئے سیمت کر دیا گیا اور مسلم، سکھ اور بودھ دھرموں کے دلتوں کو اس درجے سے ونچت کر دیا گیا۔ دلت مسلمان (ارزال) کو انوسوچت جاتی میں شامل کرنے کی سنستتی سچر کمیٹی کے اتیرکت رنگ ناتھن مشرا آیوگ، راشٹریہ انوسوچت جاتی آیوگ اور راشٹریہ الپ سنخیک آیوگ نے بھی کی ہے۔ گیات ہو کہ 1950 کے پریڈیٹیشنل آرڈر میں بعد میں دو بار سنشودھن کیا گیا ہے، جس کے دوارا 1956 میں سکھ دلتوں کو اور 1990 میں نو-بڈھشت کو انوسوچت جاتی میں دوبارہ شامل کر لیا گیا۔ پرنٹو دلت مسلم (ارزال) کو آج تک شامل نہیں کیا گیا ہے، جبکہ 1950 کے پہلے سکھ اور بودھ کی طرح وہ بھی انوسوچت جاتی میں شامل تھے۔ مہودے، دلت مسلموں کو انوسوچت جاتی میں رکھنے کا پرشن کیندریہ کابینہ میں وچارادھین ہے۔ سبھی پرمکھ سنودھانک نکایوں نے ارزال کو انوسوچت جاتی میں رکھنے کی سفارش کی ہے۔ پھر بھی اس پر کوئی نرنٹے نہیں ہو پا رہا ہے۔

مہودے، میرا سرکار سے نویدن ہے کہ دلت مسلمان (ارزال) کو انوسوچت جاتی میں شامل کرنے کے لئے کیندر سرکار پریڈیٹیشنل آرڈر 1950 میں سنشودھن کرتے ہوئے اس میں بندو، سکھ اور نو-بودھ کے

ساتھ مسلم شہد کو بھی جوڑے، جس سے کیول 0-8 فیصد جن سنجہ والے اس ورگ کو بھی اپنا شیکشک، آرٹھک اور سماجک اسٹر سدھارنے کا اوسر ملے، تاکہ وہ بھی سمان سے اپنی زندگی گزار سکیں اور انٹے دھرم کے دلتوں کی طرح مکھنے دھارا میں شامل ہو کر راشٹریہ نرمان میں سہیوگ دے سکیں۔ شکر یہ۔

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : महोदय, मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

Demand to Stop Exploitation of Rare Medicinal Herbs in Himalayas

श्री भगवती सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, उत्तराखंड की हिमालयी पर्वतमाला आयुर्वेद औषधियों के लिए धनी क्षेत्र रहा है। सरकारी उदासीनता के कारण यह क्षेत्र उजड़ रहा है। अविवेकपूर्ण दोहन से वनों का जबरदस्त कटान और बिगड़ते हुए पर्यावरण ने संकट खड़ा कर दिया है। हिमालय से लेकर शिवालिक क्षेत्र में वैध और अवैध रूप से सैकड़ों ठेकेदार जड़ी-बूटी संग्रह में लगे हुए हैं। दवा निर्माता कंपनियां भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। आयुर्वेद औषधियों तथा सौन्दर्य प्रसाधनों की बढ़ती हुई मांग के कारण तस्करी बड़ी पैमाने पर हो रही है। विदेशों में भी आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इस कारण जड़ी-बूटियों की तमाम प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ने भी स्वीकार किया है कि जड़ी-बूटियों की करीब एक हजार प्रजातियों के मिलने का उल्लेख किया है, जिनमें तमाम प्रजातियां मिलती ही नहीं और 200 प्रजातियां विलुप्त अवस्था में हैं। हमारी सरकार से मांग है कि दुर्लभ जड़ी-बूटियों के भंडार को बचाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएं। धन्यवाद।

श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch till 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at fifty-five minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled after lunch at two minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

GOVERNMENT BILL

The Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2008

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2008. Mr. Kapil Sibal to move the motion for consideration.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, I beg to move:

That the Bill to provide for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years, be taken into consideration.

The question was proposed.

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान) : सभापति महोदय, मंत्री जी ऐसा बिल लेकर आए हैं कि जिसको कोई oppose करेगा ही नहीं। बच्चों की तालीम को तो कोई oppose करेगा नहीं। जब मैं राज्य सभा में चेयर पर थी,